



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर हत्या के अभियोग में 03 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 57,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना मौदहा में पंजीकृत मु०अ०सं०- 267/17 धारा- 302/34,201,394,411 भा०द०सं० में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय डकैती कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1. पुष्पेन्द्र सिंह पुत्र झाम सिंह 2. मूलचन्द्र उर्फ मुल्लू श्रीवास पुत्र बिटोला श्रीवास 3. कामता उर्फ अजय सिंह पुत्र मलखान सिंह निवासीगण ग्राम-खण्डेह थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 57,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी मणिकर्ण
शुक्ल



विवेचक-
निरी० प्रवेन्द्र कुमार
सिंह



पैरोकार- थाना मौदहा
का० शुभम यादव